उ0प्र0 विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री अनूप कुमार गुप्ता, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-19 का उत्तर।

प्रश्न	**उत्तर**
19 (क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र, पत्रांक संख्या 153/बी० जे०पी०यू०पी०/2024 दिनांक 24.07.2024 जो कि प्रमुख सचिव मुख्य मंत्री, उ०प्र० शासन को जनपद-लखनऊ के ग्राम सभा-बिजनौर, तह०-सरोजनी नगर के अन्तर्गत सरकारी भूमि के खसरा संख्या-309, 315स, 316स, 331 खेल का मैदान, खसरा संख्या-527 विद्यालय भूमि, व खसरा संख्या-222, 223, 224, 225, 237 व 240 पर किये गये/ किये जा रहे अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित था, प्राप्त हुआ है, व पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे ?	जी हां। पत्र का मुख्य बिन्दु ग्राम सभा बिजनौर तहसील सरोजनीनगर स्थित तालाब गाटे की भूमि खसरा सं0-309, 315स, 316स, 331 खेल का मैदान खसरा सं0-527 तथा सीनियर विद्यालय बिजनौर की खसरा सं0-222, 223, 224, 225, 237, 240स व अन्य सभी को अवैध कब्जे से मुक्त कराते हुए चिन्हांकन कराये जाने से संबंधित था।
(ख) क्या उपरोक्त भूमि से अवैध कब्जा हटवा दिये गये है ?	ग्राम बिजनौर की भूमि गाटा सं० 223/0.215हे0, 224/0.2530 हे0, 225/0.2280हे0, 237/0.0380हे0 व 240/1.7700हे0 पर सीनियर विद्यालय, बिजनौर का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। जो कि मौके पर रिक्त है। गाटा सं० 309/0.1010 हे0 तालाब की भूमि है जिस पर 0.0380हे० पर अतिक्रमण, शेष भूमि रिक्त है। गाटा सं0 315स/0.613हे0 तालाब की भूमि है जिस पर 0.253हे0 पर अतिक्रमण, शेष समतल व तालाब है। गाटा सं0 316स/0.096हे० तालाब की भूमि है जो समतल के रूप में रिक्त है। गाटा सं0 331/0.531 हे0 तालाब की भूमि है जिस पर 0.1260हे0 पर अतिक्रमण, शेष भूमि रिक्त है। गाटा सं० 527 मि/0.3790हे० खेल का मैदान के नाम दर्ज अभिलेख है जिस पर तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ की

	राजस्व एवं नगर निगम लखनऊ की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 20.12.2024 को अतिक्रमण हटाया जा चुका है।
	गाटा सं0 527 मि/0.621 हे0 ऊसर की भूमि है जिस पर तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ की राजस्व एवं नगर निगम लखनऊ की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 20.12.2024 को अतिक्रमण हटाया जा चुका है।
	गाटा सं0 309/0.1010हे0, 315स/0.613हे0, 316स/0.096हे0 व 331/0.531हे0 पर स्थायी अतिक्रमण के विरूद्ध उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत बेदखली हेतु धारा-67 की कार्यवाही की गयी है।
(ग) यदि हाँ, तो कब ?	उपरोक्तानुसार।
(घ) यदि नहीं, तो सरकार कब तक अवैध कब्जा हटवायेंगी ?	प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री।